न्यायालय जिला कलक्टर अलवर, जिला अलवर राज0

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
15/33/2025	2025/82	25.04.2025	12.08.2025

1. मनोज कुमार मीना पुत्र स्व० श्री विश्राम मीना जाति मीना निवासी ग्राम हरसाना तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0।

——प्रार्थी

बनाम

1. ईन्द्रा देवी पत्नि श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी प्लॉट नंबर 235 स्कीम नंबर 05, अलवर राज०।
2. लक्ष्मीनारायण पुत्र श्री मूल्या उर्फ मूलचन्द जाति मीना निवासी प्लॉट नंबर 235 स्कीम नंबर 05 अलवर राज०।
3. गौतम पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जाति मीना निवासी प्लॉट नंबर 235 स्कीम नंबर 05, अलवर राज०।
4. तारा पत्नि गौतम जाति मीना निवासी प्लॉट नंबर 235 स्कीम नंबर 05, अलवर राज०।

——अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना—पत्र मुंतकिल ::—

उपस्थितिः—
01—श्री के.के. मीणा —वकील प्रार्थी
02—श्री अमित नरूका —वकील अप्रार्थी

निर्णयः—

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना—पत्र मुंतकिल प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ में लंबित/विचाराधीन प्रकरण बउनवान इन्द्रा देवी बनाम गल्ला देवी वगैरह मु.सं. 1/4/2024 एवं क्रॉस केस बअनुवान गल्लो देवी बनाम इन्द्रा देवी वगैरह मु.सं. 1/14/2024 को किसी दीगर न्यायालय में मुंतकिल किये जाने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थना—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ताओं की सुनी गई।

विद्वान वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस अपने समर्थन में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 01 एवं 04 के विरुद्ध बअनुवान इन्द्रा देवी बनाम गल्लो देवी वगैरा मुकदमा नंबर 1/04/2024 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष बाबत आराजी खसरा नंबर 1251 रकबा 0.2529 वाके ग्राम हरसाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया हुआ है। जिसमें तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 की नियत है। उक्त प्रकरण का एक कोस केस बअनुवान मुकद्मा प्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा बअनुवान मुकद्मा गल्लादेवी बनाम इन्द्रा देवी वगैरा मुकदमा नंबर 1/14/2024 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ जिला अलवर के समक्ष बाबत आराजी खसरा नंबर 1251 रकबा 0.2529 वाके ग्राम हरसाना तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसमें तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 की नियत है। प्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं आदेश 39 नियम 01 व 02 सपठित धारा 151 जा0 दी0 में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है,

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

जिसमें दिनांक 21.04.2025 की तारीख पेशी नियत थी, जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 की वास्ते बहस नियत की गई है।

प्रार्थी व उसके परिवारजन के विरूद्ध अप्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बअनुवान मुकद्दमा इन्द्रादेवी बनाम गल्लोदेवी के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अनतर्गत धारा 212 राज० काश्तकारी अधिनियम के प्रार्थनापत्र की प्रति दिनांक 21.04.2025 को प्रार्थी व उसके परिवारजन को प्रदत्त की गई, तथा उक्त प्रकरण में दिनांक 22.04.2025 की तारीख पेशी वास्ते जवाब नियत की गई। यानि केवल एक दिन का समय जवाब हेतु प्रदान किया गया। प्रार्थी व उसके परिवारजन द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर सुनवाई करते हुये उक्त प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है, जिस प्रकरण में केवल एक दिन उपरांत की तारीख पेशी वास्ते बहस नियत की गई है, जबकि उक्त दोनों प्रकरण के पक्षकारा आपस में एक–दूसरे के विरूद्ध गवाह हैं, तथा प्रकरण में विवाति विषयवस्तु आराजी खसरा नंबर 1251 वाके ग्राम हरसाना तहसील लक्ष्मणगढ है। उक्त प्रकरण में दिनांक 21.04.2025 की तारीख पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने के उपरांत से अप्रार्थीगण सरेआम यह कह रहे हैं कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी से मिल्लत कर ली है, तथा अब तो उक्त दोनों प्रकरण में फैसला उन्हीं के पक्ष में होकर रहेगा। जिस कारण उक्त प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय की कोई उम्मीद नहीं है इस कारण प्रार्थी को आशंका ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि उक्त दोनों प्रकरण में प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से निष्पक्ष न्याय प्राप्त नहीं होगा। इस कारण प्रार्थी उक्त वर्णित दोनों प्रकरणों को किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल कराना चाहता हैं जिस हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकांर किया जाकर बअनुवान इन्द्रा देवी बनाम गल्ल्लादेवी वगैरा लंबित प्रकरण श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय लक्ष्मणगढ जिला अलवर मुकद्मा नंबर 1/4/2024 तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 एवं क्रॉस केस बअनुवान मुकद्दमा गल्लोदेवी बनाम इन्द्रादेवी वगैरा लंबित प्रकरण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, लक्ष्मणगढ जिला अलवर मुकद्दमा नंबर 1/14/2024 तारीख पेशी दिनांक 22.04.2025 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ से किसी दीगर अदालत में मुन्तकिल किये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थी सं. 01 ने लिखित जवाब पेश कर अपने समर्थन में कथन किया कि वाद पत्र के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन भी न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है। मिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो मुकदमा न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश किया गया है उसमे आज दिन तक प्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही किया गया हैं जबकि प्रार्थी द्वारा विगत डेढ वर्ष से जानबूझकर जवाब पेश नही किया जा रहा है। जिसमें बहस की दिनांक 21.04.2025 नियत थी तथा आगामी तारीख पेशी 24.09.2025 नियत हैं। जिस कारण जब तक प्रार्थी द्वारा जवाब पेश नही किया जाता है तब तक उक्त प्रकरण को दीगर अदालत में मुन्तकिल नही किया जा सकता हैं। तथा प्रकरण को देरी करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा पेश किया गया है तथा अधिकारी खरीद लिया है, ऐसे तथ्य झूठे व निराधार है। जिस कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने योग्य हैं। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेशकर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करें।

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र मुन्तकिल के संबंध में बिन्दुवार टिप्पणी प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि मुकदमा नम्बर 1/14 दायरा दिनांक 19.02.2024 गल्लोदेवी बनाम इन्द्रा देवी अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट व मुकदमा संख्या 1/4 दायरा दिनांक 24.01.24 इन्द्रा देवी बनाम गल्लो देवी अन्तर्गत धारा 88,188 आर टी एक्ट बाबत् आ०ख0नं0 1251 वाके ग्राम हरसाना इस न्यायालय में विचाराधीन हैं जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.05.2025 नियत है। प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इन्द्रा देवी बनाम गल्लो देवी में पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु व गल्लो देवी बनाम

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

इन्द्रा देवी प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट में पत्रावली वास्ते बहस है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.05.25 नियत है। प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट इन्द्रा देवी बनाम गल्लो देवी में पत्रावली वास्ते जवाब/बहस हेतु व गल्लो देवी बनाम इन्द्रा देवी प्रार्थना पत्र 212 आर टी एक्ट में पत्रावली वास्ते बहस है तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 19.05.25 नियत है। शेष आरोप निराधार व मनगढन्त हैं। अतः बिन्दुवार जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है यदि उक्त प्रकरणों को किसी अन्य यालय में मुन्तकिल किया जाता है तो इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली का अवलोकन किया व विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया। दोनों प्रकरण इन्द्रा देवी बनाम गल्लो देवी वगैरह (मु.सं. 1/4/2024) और गल्लो देवी बनाम इन्द्रा देवी वगैरह (मु.सं. 1/14/2024) में अगली तारीख पेशी 19.05.2025 नियत थी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जबकि अप्रार्थी के प्रकरण में प्रार्थी ने जवाब दाखिल नहीं किया है। प्रार्थी का पीठासीन अधिकारी पर मिल्लत/सांठगांठ का आरोप गंभीर है, किंतु इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। उपखंड अधिकारी ने अपनी टिप्पणी प्रस्तुत कर स्पष्ट किया कि दोनों प्रकरण विचाराधीन हैं और अगली तारीख 19.05.2025 नियत है। तथा प्रार्थी के आरोपों को मनगढंत बताया और स्थानांतरण पर कोई आपत्ति नहीं जताई। प्रकरणों के स्थानांतरण के लिए ठोस आधार, जैसे वास्तविक पक्षपात का प्रमाण, आवश्यक होता है। केवल आशंका या असमर्थित आरोप पर्याप्त नहीं हैं। प्रकरण को स्थानांतरित करने का आधार केवल प्रार्थी की आशंका पर आधारित है, जो कि निराधार एवं अपर्याप्त है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध लगाए गए आरोप बिना साक्ष्य के निराधार प्रतीत होते हैं। प्रकरण को स्थानांतरित करने हेतु कोई ठोस आधार या कानूनी औचित्य प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन वाद में प्रार्थी द्वारा जवाब दाखिल न करने से प्रकरण में विलंब हो रहा है, जो प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र की नीयत पर संदेह उत्पन्न करता है। प्रथम दृष्ट्या अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुंतकिल प्रार्थना–पत्र के संबंध में किसी स्वतंत्र व्यक्ति के शपथ–पत्र पेश नहीं किये गये हैं और ना ही प्रार्थना–पत्र के संबंध में कोई ठोस साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किये गये हैं। प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुंतकिल खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र मुन्तकिल खारिज किया जाता है। साथ ही प्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह लंबित प्रकरणों में नियत तारीख पर जवाब दाखिल करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 12.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
राजस्थान